


आंकड़े जो गिनती में हैं

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.)-II के बजटों का आकलन



आंकड़े जो गिनती में हैं

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.)-॥
के बजटों का आकलन

मार्च 2019

सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाऊंटेबेलिटी

सी.बी.जी.ए.

यह दस्तावेज निजी वितरण के लिए हैं, बिक्री के लिए नहीं
कॉपीराइट @ 2019 सेंटर फॉर बजट एंड गर्वेस एकाऊंटेबेलिटी
आवरण चित्र - विक्रम नायक

अनुक्रमणिका

संदर्भ.....	5
1. मुख्य राजकोषीय संकेतक	7
2. कृषि.....	10
3. ग्रामीण विकास.....	12
4. रोजगार की चुनौतियां व असंगठित क्षेत्र	14
5. शिक्षा	16
6. स्वास्थ्य	18
7. पेयजल एवं स्वच्छता	21
8. पोषण एवं खाद्य सुरक्षा	23
9. जेंडर	25
10. बच्चे	27
11. विकलांगजन	29
12. अनूसूचित जातियां	31
13. अनूसूचित जनजातियां.....	33
14. अल्पसंख्यक	34
15. शाश्वत ऊर्जा	36
16. कर एवं वित्तीय पारदर्शिता	38
17. जी.एस.टी.	40
18. जवाबदेही संस्थान व प्रक्रियाएं	42

संदर्भ

भूमिका

वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट राष्ट्रीय जनरात्तिक गठबंधन (एनडीए-11) सरकार का अंतिम बजट है। यह ऐसे समय प्रस्तुत हुआ है जब अर्थव्यवस्था अनेक समस्याओं का सामना कर रही है। अर्थव्यवस्था जिन विविध चुनौतियों का सामना कर रही है, उनमें संभवतः सबसे गंभीर कृषि संकट, बढ़ती बेरोजगारी व आर्थिक संवृद्धि में धीमेपन की है। हालांकि इनमें से अनेक समस्याएं वर्ष 2014 से पहले आरंभ हुईं, ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से अनेक समस्याएं पिछले कुछ वर्षों में और गंभीर हो गई हैं।

पिछले पांच वर्षों में सरकार ने प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगारों के सृजन से लेकर किसानों की आय को दोगुना करने के अनेक बायदे किए। किन्तु जैसा कि अनेक विश्लेषणों ने ध्यान दिलाया है, न केवल इनमें से कई बायदे पूरे नहीं हुए अपितु अनेक क्षेत्रों में स्थिति पहले से और विकट हो गई है।

यद्यपि इनमें से कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किए गए हैं (जैसे कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना, पर यह जरूरी नहीं है कि इन प्रयासों को पर्याप्त (वित्तीय संसाधन) आवंटन का समर्थन प्रदान किया गया हो। राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में केन्द्र सरकार का बजट (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में) लगातार कम होता जा रहा है। यह अनुपात वर्ष 2014-15 के बजट बनुमान में 14.4 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2019-20 के (अंतरिम) बजट में यह कम होकर 12.77 प्रतिशत पर पहुंच गया है। खर्च-जीडीपी के गिरते अनुपात का असर सामाजिक क्षेत्र के आवंटनों पर पड़ा है।

सहयोगी संघवाद

सहयोगी संघवाद के संदर्भ में देखा जाए तो, इस सरकार की अवधि के दौरान राज्यों के साथ हिस्सेदारी होने वाला केन्द्रीय करों का विभाजीय भाग 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत हुआ व यह बदलाव चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में हुआ। किन्तु करों के अधिक हस्तांतरण से राज्यों को (जीडीपी के हिस्से के रूप में) मिलने वाले संसाधनों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। इसकी एक वजह यह है कि अनेक केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.) में केन्द्रीय सरकार के हिस्से में कमी आई है। पर साथ ही यह भी सच है कि चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के साथ राज्यों को अपने खर्च की प्राथमिकताएं तय करने में पहले से अधिक स्वायत्ता मिली है।

दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2017-18 में आरोपित वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) की वजह से सहयोगी संघवाद की धारणा पर प्रतिकूल असर पड़ा है क्योंकि विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों को निर्धारित करने की शक्ति अब राज्यों के पास नहीं रह गई है अपितु जीएसटी परिषद में केंद्रित हो गई है।

कुछ बड़े सुधारों का असर

पिछले दो-तीन वर्षों में सरकार ने कुछ बड़े सुधारों को कार्यान्वित किया है जैसे कि विमुद्रीकरण व जीएसटी। सामान्य अर्थव्यवस्था पर, और विशेष रूप से रोजगार पर, इसका व्यापक असर पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इनसे अनौपचारिक क्षेत्र के लघु उत्पादकों व व्यापारियों, किसानों व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों में बहुत अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई है। देश में बेरोजगारी की स्थिति पर उपलब्ध नवीनतम रिपोर्ट से भी यही संकेत मिलता है कि इन नीतियों ने “रोजगार विहीन” संवृद्धि की समस्या को बिकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सी.एम.आई.ई. के सर्वेक्षण के अनुसार, देश में बेरोजगारों की संख्या निरंतरता से बढ़ रही है। वर्ष 2018 में 1.1 करोड़ रोजगारों की क्षति हुई व इसका अधिक प्रतिकूल असर ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि संवेदनशील तबकों जैसे महिलाओं, अशिक्षित, दिहाड़ी मजदूरी वालों, कृषि मजदूरों व छोटे व्यापारियों पर वर्ष 2018 की रोजगार क्षति का अधिक प्रतिकूल असर पड़ा है। (बिजनेस टुडे, जनवरी 4, 2019 – ‘भारत ने वर्ष 2018 में 1.1 करोड़ रोजगार खोए’ – सी.एम.आई.ई-सेंटर फॉर मानिटरिंग इंडियन इकानामी)।

इसके अतिरिक्त सरकारी राजस्व पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है, विशेषकर जी.एस.टी. की वजह से। अधिक व्यापक कर आधार के बावजूद जी.उस.टी. से प्राप्त राशि अपेक्षा से कम रही है। प्रत्यक्ष कर की उपलब्धि बेहतर रही है, पर एक दौर में इसकी सीमित वृद्धि इतनी नहीं हो सकती है कि अप्रत्यक्ष करों की कम प्राप्ति की कमी को पूरा किया जा सके। फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार की सकल कर प्राप्ति वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान की तुलना में इस वर्ष के संशोधित अनुमान में कम हुई है।

अंतरिम बजट 2019-20

यह ध्यान में रखते हुए कि यह अंतरिम बजट है, इस बारे में काफी चर्चा थी कि क्या इसमें कोई बड़ी नीतिगत घोषणा हो सकेगी। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं जिससे लगता है कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कुछ समस्याओं का संज्ञान सरकार ने लिया है। एक घोषणा छोटे व सीमांत किसान को निश्चित आय सहायता की है। दूसरी घोषणा, असंगठित क्षेत्र में 15000 रुपए मासिक आय तक अर्जित करने वाले कामगारों की पेंशन के लिए है। यह अभी देखना है कि यह घोषणाएं कहां तक अर्थव्यवस्था की समस्याओं को सुलझाने में सहायक सिद्ध होंगी।

इस संदर्भ में प्रस्तुत रिपोर्ट पिछले पांच वर्षों के दौरान के महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों तथा जनसंख्या के संवेदनशील हिस्सों के बजट प्रावधानों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें राजकोषीय संकेतकों का विवरण आकलन भी है। रोजगार चुनौती का सामना करने की अर्थव्यवस्था की तैयारी के लिए बजट के प्रावधानों, जीएसटी के असर, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पारदर्शिता व करों के कुछ अन्य पक्षों का विश्लेषण भी इस रिपोर्ट में है।

1. प्रमुख राजकोषीय संकेतक

अर्थव्यवस्था व संघीय बजट का आकार

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में संघीय (केंद्रीय) बजट का आकार 14वें वित्त आयोग के बाद के दौर में कुछ सिकुड़ गया है - वर्ष 2014-15 में यह 13.34 प्रतिशत था व वर्ष 2019-20 में यह 12.77 प्रतिशत पर सिमट गया। पर यदि कुल राशि के रूप में देखें तो यह बढ़ बया है - वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान में यह 24.05 लाख करोड़ था व वर्ष 2019-10 के बजट अनुमान में यह 26.83 लाख करोड़ रुपए है।

राजकोषीय दृढ़ीकरण

राजकोषीय घाटा - सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखें तो संघीय सरकार का बजट घाटा पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है - वर्ष 2015-16 में यह 3.89 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में यह 3.35 प्रतिशत है। अब यदि हम कुल एकत्रित संसाधन को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें व इसमें आई शिथिलता को देखें तो यह प्रतीत होता है कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण सामाजिक क्षेत्र पर खर्च न बढ़ाने की कीमत पर किया गया है।

राजस्व का घाटा - राजस्व घाटे को समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है, यह सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यह पिछले 5 वर्षों में 2 और 2.5 के बीच रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त न कर सकने में कोई गलती नहीं है क्योंकि राजस्व खर्च विकास कार्यों के लिए जरूरी है। केन्द्र सरकार व 15 वें वित्त आयोग को राज्यों को राजस्व घाटे के लक्ष्यों (जो राजकोषीय जिम्मेदारी कानूनों के अन्तर्गत तय होते हैं)में ढील देनी चाहिए, जैसा कि केन्द्र के संदर्भ में हुआ है।

कर तंत्र में समता - पिछले 4-5 वर्षों में, केन्द्रीय स्तर पर एकत्र किए कुल करों में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़ा है। अप्रत्यक्ष करों (कस्टम व जीएसटी) का कुल करों में वर्ष 2014-15 में 44 प्रतिशत हिस्सा था (वास्तविक) जबकि 2018-19 के बजट-अनुमान में यह हिस्सा 47% है। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में यह हिस्सा 46% है। यह प्रवृत्ति व्यक्तिगत आय कर के हिस्से में वृद्धि के बावजूद देखी गई है, जो इस दौरान 21% से बढ़कर 24% हो गया।

केन्द्रीय स्तर के कुल करों में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा कम करने का कारण कारपोरेशन कर से होने वाली प्राप्ति है। पिछले 5 वर्षों में केन्द्र की कर प्राप्ति में कारपोरेशन टैक्स का हिस्सा निरंतर कम हुआ है, यह 2014-15 में 34% था (वास्तविक) व वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में कम होकर 28% तक सिमट गया है। वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट के अनुमान में यह 30% है।

राज्यों को संसाधनों का ट्रांसफर

राज्यों व केन्द्रीय क्षेत्रों को हस्तांतरित होने वाले संसाधन का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा बढ़ गया है - वर्ष 2014-15 में यह 6.10 प्रतिशत था (वास्तविक) तो वर्ष 2019-20 (अनुमान) में यह 7.

15% है। इसी तरह यदि हम ट्रान्सफर किए गए संसाधनों को हस्तांतरण से पहले के केन्द्र द्वारा एकत्रित कर संसाधनों के प्रतिशत के रूप में देखें तो वर्ष 2015–16 में इनका प्रतिशत 48.89 था जबकि 2019–20 के बजट अनुमान में यह प्रतिशत 53.18 तक बढ़ गया। कुल आंकड़ों में देखा जाए तो इस दौरान ट्रांसफर 8.34 लाख करोड़ से बढ़कर 15.02 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए।

सामाजिक क्षेत्र पर खर्च (संघीय सरकार के 15 मंत्रालयों के आधार पर)

केन्द्र सरकार के 15 मंत्रालय सामाजिक क्षेत्र के खर्च के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय बजट में इन 15 मंत्रालयों के खर्च का हिस्सा वर्ष 2014–15 (वास्तविक) में 23% था, जबकि 2019–20 के बजट अनुमान में यह बढ़ कर 27.9 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2019–20 के संघीय बजट में कृषि व किसान-कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय (आयुष सहित), आवास व शहरी मंत्रालय, पर्यावरण, वन व जलवायु बदलाव मंत्रालय में 2019–20 के बजट आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

तालिका

राज्यों को वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण (करोड़ रुपए)					
	2015–16 (वास्तविक)	2016–17 (वास्तविक)	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (संशो.अनु.)	2019–20 (बजट अनु.)
1. केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा	5,06,193	6,08,000	6,73,005	7,61,454	8,44,606
2. वित्त आयोग के अनुदान (ग्राण्ट) (जिसमें से)	84,579	95,550	92,245	1,06,129	1,31,902
3. केन्द्रीय स्कीमों संबंधित अनुदान	1,95,051	2,28,957	2,63,949	3,15,084	3,29,572
4. विधायिका सहित संघीय क्षेत्रों को हस्तांतरण	5,139	5,113	3832	8310	9,813
5. राज्यों व संघ क्षेत्रों को कुल हस्तांतरण	8,34,483	9,85,674	11,62,506	13,52570	15,02,348
6. सकल राजस्व प्राप्तियाँ (राज्यों को हस्तांतरण से पूर्व)	17,06,908	19,88,653	21,11,753	24,93,451	28,24,778
7. राज्यों व संघीय क्षेत्रों को कुल ट्रान्सफर जी.डी.पी. का प्रतिशत (आंकड़े % में)	6.1	6.49	6.93	7.18	7.15
8. राजस्व प्राप्तियाँ (जिनमें से)	11,95,025	13,74,203	13,72,621	16,39,682	18,76,493
9. पूँजी प्राप्तियाँ (जिनमें से)	5,95,758	6,00991	7,06,742	7,27,553	8,06,507
10. कुल संघीय बजट खर्च	17,90,783	19,75,194	20,85,829 ^अ	24,05,500 ^अ	26,83,000 ^अ
11. केन्द्र का राजकोषीय घाटा	5,32,791	5,35,618	5,91,064	6,34,398	7,03,999
12. चालू बाजार कीमत पर सकल घरेलू कीमत	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145	1,88,40,731	2,10,07,439

13. संघीय बजट (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	13.01	12.95	12.44	12.77	12.77
14. राजकोषीय धारा (सकल घरेलू उत्पाद के % रूप में)	3.89	3.53	3.52	3.37	3.35


नोट : अ - वित्तीय वर्ष 2017-18 के व इसके बजट के कुल संघीय बजट के खर्च के आंकड़ों में 'जीएसटी क्षति पूर्ति उपकर के फंड' शामिल नहीं है, जिन्हें सार्वजनिक खाते के लेप्स न होने वाले कोष में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

स्रोत : सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से संकलित।

2. कृषि

कृषि क्षेत्र की संवृद्धि समग्र आर्थिक संवृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है और देश की समग्र रूप से भलाई के लिए भी। इस क्षेत्र से ही सबको खाद्य मिलता है व अन्य क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कच्चा माल भी मिलता है। देश के श्रम बल के 42 प्रतिशत हिस्से को कृषि में रोजगार प्राप्त है। बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में भी कृषि का महत्व स्वीकार किया गया था। पर पिछले चार वर्षों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले दो दशकों में सबसे कम है। 2004-05 से 2013-14 के बीच भारत में कृषि की संवृद्धि दर 3.7 प्रतिशत थी जबकि 2014-15 से 2017-18 के दौरान कृषि की संवृद्धि दर 2.5 प्रतिशत रही।

सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों से निवेश में कमी कृषि क्षेत्र की निम्न वृद्धि दर का एक संभावित कारण है। पिछले चार वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.35% सार्वजनिक निवेश के लिए खर्च किया गया। इसी अवधि में निजी क्षेत्र निवेश खर्च भी सकल घरेलू उत्पाद के 2.2 प्रतिशत से कम होकर 1.8 प्रतिशत हो गया।



कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश किसानों को ढांचागत सहयोग देने के लिए जरूरी है; जैसे कि सिंचाई सुविधाएं, अच्छे बीज, कृषि अनुसंधान व विकास, नई तकनीक आदि। इन क्षेत्रों में कम सार्वजनिक निवेश होने से विकास की गति धीमी हो जाती है। सीएजी रिपोर्ट 2018 के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में पूँजी की कमी के कारण अनेक सिंचाई परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकीं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए वर्ष 2019-20 के लिए बजट का प्रावधान पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है।

इन परिस्थितियों में कृषि ढांचा मजबूत करने के बजाय सरकार ने किसानों को प्रत्यक्ष आय समर्थन की ओर फोकस किया है। वर्ष 2018-19 में सरकार ने अधिकांश खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 23% बढ़ाया व रबी फसलों का 13% बढ़ाया ताकि किसानों को उपज पर लाभकारी मूल्य मिल सके।

2019 के अंतरिम बजट में सरकार ने 2 हैक्टेयर से कम के किसानों को 6000 रुपए की वार्षिक आय सहायता की घोषणा की है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। यह वार्षिक राशि वर्ष में तीन किश्तों में दी जाएगी। इस स्कीम में भूमिहीन कृषि मजदूर शामिल नहीं हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप्रैल 2016 में आरंभ की गई थी ताकि फसल क्षति से किसान की आय सुरक्षित रह सके। यह अभी कम किसानों तक पहुंच सकी है। वर्ष 2017 में खरीफ फसल में 10.3 प्रतिशत किसान इसके दायरे में थे जबकि वर्ष 2016 की रबी फसल में 2.8 प्रतिशत किसान इसके दायरे में थे। यह स्कीम मुख्य रूप से बड़े किसानों के पक्ष में है।

कुल मिलाकर, इस सरकार के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र को कम प्राथमिकता मिली। किसानों को अल्प-कालीन आय समर्थन देने के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र के ढांचागत विकास के माध्यम से इसे मजबूत करने की जरूरत है। आय समर्थन तो ठीक है पर इससे कृषि समस्याओं जैसे किसानों के बढ़ते संकट, किसान आत्महत्या व सूखे का समाधान नहीं मिल सकता है।

3. ग्रामीण विकास

यदि हम कुल आवंटन के रूप में देखें तो वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) में वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) की अपेक्षा ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए कुछ अधिक धन का आवंटन हुआ है। यदि हम आवंटन को कुल केन्द्रीय बजट के हिस्से के रूप में देखें तो यह वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 4.6 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) में यह 4.4 प्रतिशत है यानि इसमें कमी हुई है। बजट भाषण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने पर जोर दिया गया व एनडीए-॥ सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग का आवंटन वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 1,12,404 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) में 1,17,647 करोड़ रुपए कर दिया है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में देखा गया था, एन.डी.ए.-॥ ने कृषि का मूल महत्व बनाए रखते हुए गांवों में बुनियादी सुविधाएं शहरी क्षेत्र के अनुरूप बनाने पर जोर दिया था।

तालिका

केन्द्र के बजट में ग्रामीण विकास विभाग के लिए आवंटन (2014-20)

वर्ष	ग्रामीण विकास विभाग के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)	कुल बजट खर्च (करोड़ रुपए में)	केन्द्रीय बजट के प्रतिशत रूप में विभागीय आवंटन
2014-15	67311	1663673	4.05
2015-16	77369	1790783	4.32
2016-17	95069	1975194	4.81
2017-18	108560	2085829	5.20
2018-19 (बजट अनुमान)	112404	2352213	4.78
2018-19 (संशो. अनुमान)	112404	2405500	4.67
2019-20 (बजट अनुमान)	117647	2683000	4.38

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों में मनरेगा को वर्ष 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ जबकि संशोधित अनुमान (2018-19) में 61804 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। (संसद द्वारा जनवरी 15, 2019 को सप्लीमेंटरी या पूरक बजट स्वीकृति के बाद)। इसका प्रचार इस स्कीम के लिए सबसे बड़े आवंटन के रूप में किया गया है, पर यदि महंगाई के असर को हटा कर देखा जाए तो यह नेट आवंटन वर्ष 2017-18 के आवंटन (संशोधित अनुमान) के 55,000 करोड़ रुपयों से कहीं कम है। हालांकि मनरेगा के लिए कुल आवंटन वर्ष 2014-15 (वास्तविक खर्च) में 32969 करोड़ रुपए से वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 61084 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है, पर महंगाई का असर हटा कर देखने से पता चलता है कि आवंटन में कमी आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए बजट आवंटन वर्ष 2017-18 में 22,752 करोड़ रुपए (वास्तविक खर्च) था जबकि 2018-19 (संशोधित अनुमान) में यह 11 प्रतिशत कम होकर 19,900 करोड़ रुपए पर सिमट गया। वर्ष 2019-20

के अंतरिम बजट में यह और 4 प्रतिशत कम हो कर 19,000 करोड़ रुपए पर सिमट गया। इसका मार्च 2019 तक 1 करोड़ आवास बनाने के लक्ष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसमें से 68 लाख आवास बनाने का लक्ष्य 1 फरवरी 2019 तक पूरा हो सका है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आवंटन 28% बढ़ा है। वर्ष 2017-18 में इस पर 4,926 करोड़ रुपए खर्च हुए। वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) में इसे बढ़ा कर 6,924 करोड़ रुपए किया गया। इसे आगे 2019-20 (बजट अनुमान) में 9524 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है यानि 51% वृद्धि की गई है। देश में रोजगार संकट को देखते हुए इसे और बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केन्द्रीय स्कीम है जिसमें 1.6 लाख आबादी को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है। वर्ष 2017-18 में रखकर 16,862 करोड़ रुपए खर्च हुए। जबकि 2018-19 के संशोधित अनुमान में इसमें 8.1 प्रतिशत कमी कर इसे 15,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2019-20 के बजट अनुमान में इसे बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए किया गया है।

4. रोजगार चुनौतियां व असंगठित क्षेत्र के मजदूर

भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ समय से रोजगार विहीन संवृद्धि के दौर से गुजर रही है व यह श्रम शक्ति के बढ़े हिस्से के लिए रोजगार सृजन में विफल रही है। बेरोजगारी वर्ष 2011-12 में 2 प्रतिशत (एन.एस.एस.ओ) से वर्ष 2017-18 में 6.1 प्रतिशत (एन.एस.एस.ओ) तक पहुंच चुकी है। महिला मजदूरों में बेरोजगारी निरंतरता से बढ़ रही है। वर्ष 2013-14 में महिला मजदूरों का जनसंख्या में अनुपात (भारतीय सरकार, 2014 - रोजगार, बेरोजगारी सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो) 29.6% था जबकि 2015-16 में यह 21.7 प्रतिशत हो गया। 2015-16 में पुरुषों के लिए यह प्रतिशत 72.1 था।

इस सरकार ने रोजगार सृजन के लिए स्व-रोजगार बढ़ाने की नीति अपनाई व दावा किया कि रोजगार खोजने वाले अब रोजगार सृजन करने वाले बन रहे हैं। पर आंकड़ों से पता चलता है कि पहले आरंभ की गई ऐसी स्कीमों (जैसे मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया एंड स्टैंड-अप इंडिया) के लिए कम आवंटन हुआ है। वर्ष 2016-17 में इन स्कीमों पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए जबकि 2019-20 का बजट अनुमान 515 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आवंटन 2018-19 के बजट अनुमान में 3,273 करोड़ रुपए था। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में यह 2,932 करोड़ रुपए पर सिमट गया है।

कुछ नीतियों के कारण चमड़े के निर्यात में कमी आई - यह 2013-14 में 5.94 बिलियन डालर था जबकि 2017-18 में मात्र 1.42 बिलियन डालर रह गया। इस कारण विशेषकर दलित व मुस्लिम मजदूरों के रोजगार में कमी आई। इसके अतिरिक्त विमुद्रीकरण व जी.एस.टी. की नीतियों ने भी बेरोजगारी बढ़ाने में भूमिका निभाई। धन आवंटन पर्याप्त न होने व समय पर मजदूरी न मिलने से मनरेगा कार्यक्रम समस्याग्रस्त रहा है।

हालांकि सरकार का रोजगार देने का वायदा पूरा नहीं हो सका, पर वर्ष 2019-20 के बजट में एक नई स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की घोषणा हुई है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को पेंशन देना है। इस स्कीम के अंतर्गत 15,000 रुपए प्रतिमाह तक आय वाले मजदूरों की सेवानिवृत्ति के बाद 3,000 रुपए की पेंशन मिल सकती है। इस स्कीम के लिए 523 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। मजदूर इस स्कीम से यदि 29 वर्ष की आयु में जुड़ेंगे तो उन्हें 100 रुपए प्रतिमाह देने होंगे व 18 वर्ष की आयु में जुड़ेंगे तो उन्हें 55 रुपए प्रतिमाह देने होंगे।

यह ध्यान में रखते हुए कि मासिक पेंशन कम से कम 20 वर्ष बाद मिलेगी, 3,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से बहुत अपर्याप्त लगती है।


निष्कर्ष में कहें, तो यह बजट रोजगार सृजन की दृष्टि से कुछ विशेष उपलब्धि वाला नहीं है। रोजगार सृजन वाले कार्यक्रमों के आवंटन पिछले पांच वर्षों में जी.डी.पी. के 0.4 प्रतिशत के आसपास बना रहा है। लाभकारी रोजगार के सृजन के लिए कोई उल्लेखनीय पहल नहीं हुई है।

तालिका - रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंत्रालयों को बजट आवंटन (रुपए करोड़ में)

	2014-15 (बजट असाम) क्रपि मंत्रालय	2014-15 (आवंटन)	2015-16 (बजट असाम) जिसमें से किसमें को अल्प-कारबंद त्रण	2015-16 (आवंटन)	2016-17 (बजट असाम) सूक्ष्म, लघु और प्रध्यम उद्यम मंत्रालय	2016-17 (बजट असाम)	2017-18 (बजट असाम) जिसमें से प्रधानमंत्री रोजगार सूजन योजना (ऋण आधारित)	2017-18 (बजट असाम)	2018-19 (बजट असाम) जिसमें से प्रधानमंत्री कोशल विकास मंत्रालय	2018-19 (बजट असाम) श्रम व रोजगार मंत्रालय	2018-19 (बजट असाम) जिसमें से रोजगार व कोशल विकास (प्र.म.रोज. प्रोत्साहन योजना सहित)	2018-19 (बजट असाम) आवास व शहरी भागीदारी का मंत्रालय ●	2018-19 (बजट असाम) जिसमें से मनरेगा	2018-19 (बजट असाम) एन.आर.एल.एम.	2018-19 (बजट असाम) आवास व शहरी भागीदारी का मंत्रालय	2018-19 (बजट असाम) एन.य.एल.एम.	2018-19 (बजट असाम) वाधिक्य व उद्योग मंत्रालय	2018-19 (बजट असाम) नामङ्ग चमड़ा उत्पाद सेक्टर #	2018-19 (बजट असाम) उद्योग नीति एवं प्रसार विभाग	2018-19 (बजट असाम) जिसमें से चमड़ा व चमड़ा उत्पाद सेक्टर #	2018-19 (बजट असाम) उद्योग नीति एवं प्रसार विभाग	2018-19 (बजट असाम) विनोद चमड़ा विभाग	2018-19 (बजट असाम) जिसमें से प्रधानमंत्री पुढ़ा योजना (हारा एन.सी.जी.टी.सी.)	2018-19 (बजट असाम) 1 से 12 का योग (रोजगार एवं प्रसार कार्यक्रम)	2018-19 (बजट असाम) संधीय बजट से ऐडजस्ट किया कुल खर्च	2018-19 (बजट असाम) जीडीपी पट करंट भाविक्ट प्राइंज	2018-19 (बजट असाम) 1 से 12 का योग (रोजगार एवं प्रसार कार्यक्रम) जीडीपी के अनुपात में (% में)	2018-19 (बजट असाम) # चमड़ा व चमड़ा उत्पाद क्षेत्र को 2016-17 के बाद बजट आवंटित नहीं हुआ। सरकार ने कोई कारण नहीं बताया	2018-19 (बजट असाम) चोत - सी.बी.जी.ए. द्वारा संधीय बजट दस्तावेजों से प्राप्त
क्रपि मंत्रालय	37062.94	31917	37909.78	35092.04	44499	44499	51026	59407.46	57600	94012.74	158763.97																		
जिसमें से किसमें को अल्प-कारबंद त्रण	6000	6000	13000	15030	13397.13	15000	13045.72	6292.12	6552.61	14987	18000																		
सूक्ष्म, लघु और प्रध्यम उद्यम मंत्रालय	3702.28	2766.6	3007.42	2826.74	3464.77	3262.41	648.96	200.01	151.97	340.01	228.47	447.07																	
उद्यमिता एवं कौशल विकास																													
कोशल विकास मंत्रालय																													
जिसमें से प्रधानमंत्री रोजगार सूजन योजना (ऋण आधारित)																													
उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय																													
कोशल विकास मंत्रालय																													
जिसमें से प्रधानमंत्री कोशल विकास योजना																													
श्रम व रोजगार मंत्रालय																													
जिसमें से रोजगार व कोशल विकास (प्र.म.रोज. प्रोत्साहन योजना सहित)																													
आवास व शहरी भागीदारी का मंत्रालय ●																													
जिसमें से मनरेगा																													
एन.आर.एल.एम.																													
आवास व शहरी भागीदारी का मंत्रालय																													
जिसमें से एन.य.एल.एम.																													
वाधिक्य विभाग																													
नामङ्ग चमड़ा उत्पाद सेक्टर #																													
उद्योग नीति एवं प्रसार विभाग																													
विनोद चमड़ा विकास कार्यक्रम (आई.एल.डी.पी.)																													
जिसमें से प्रधानमंत्री पुढ़ा योजना (हारा एन.सी.जी.टी.सी.)																													
1 से 12 का योग (रोजगार एवं प्रसार कार्यक्रम)																													
संधीय बजट से ऐडजस्ट किया कुल खर्च																													
जीडीपी पट करंट भाविक्ट प्राइंज																													
जीडीपी के अनुपात में कुल संधीय बजट खर्च (% में)																													
1 से 12 का योग (रोजगार एवं प्रसार कार्यक्रम) जीडीपी के अनुपात में (% में)																													
# चमड़ा व चमड़ा उत्पाद क्षेत्र को 2016-17 के बाद बजट आवंटित नहीं हुआ। सरकार ने कोई कारण नहीं बताया																													
नोट : ● आवास व गरीबी निवारण मंत्रालय हाथाय गया वे एक नया आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय 2016-17 में बना। पर इन दो मंत्रालयों के बजट तुलनात्मक नहीं हैं।																													
चोत - सी.बी.जी.ए. द्वारा संधीय बजट दस्तावेजों से प्राप्त																													

5. शिक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा के लिए नोडल मंत्रालय है। वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) में 93,848 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 12 प्रतिशत की वृद्धि है। हालांकि शिक्षा के बजट का कुल आवंटन बढ़ा है पर कुल सरकारी खर्च के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2014-15 बजट-अनुमान में 4.6 प्रतिशत से कम होकर 2019-20 के बजट अनुमान में 3.4 प्रतिशत पर सिमट गया है।



स्रोत : सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से संकलित।

इस वर्ष बजट भाषण में शिक्षा क्षेत्र के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई। केवल शिक्षा संस्थानों में ऊंची जातियों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की चर्चा की गई व इसके लिए बजट में कोई राशि नहीं बताई गई।

स्कूल शिक्षा व साक्षरता के विभाग के बजट का आकलन वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 50,114 करोड़ रुपए था व वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) में इसे बढ़ा कर 56,387 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछले वर्ष के बजट भाषण में सरकार ने घोषणा की कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व टीचर एजुकेशन को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान के नाम से नर्सरी पूर्व से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा व्यवस्था के समग्र विकास की पहल आरंभ की जाएगी। इसके लिए 2018-19 बजट अनुमान की तुलना में 10 प्रतिशत वृद्धि कर वर्ष 2019-20 बजट में 36,322 करोड़ रुपए का आवंटन है। पिछले कुछ वर्षों के बकाए की राशि को देखते हुए इस स्कीम के लिए अधिक आवंटन की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय स्कीम के लिए वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 256 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी पर वर्ष 2019-20 का इस स्कीम

का बजट अनुमान मात्र 100 करोड़ रुपए पर सिमट गया है। अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए मानव संसाधन मंत्रालय का आवंटन दो वर्षों से 120 करोड़ रुपए पर स्थिर है।

वर्ष 2019-20 बजट में उच्च शिक्षा विभाग के लिए 37,461 करोड़ रुपए का आवंटन है जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से मात्र 7 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बजट में वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान की अपेक्षा मात्र 600 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है जबकि 'क्लास संस्थानों' का बजट इस दौरान 120 करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपए बढ़ा है। टैक्नीकल शिक्षा का बजट अपेक्षाकृत अधिक बढ़ा है। आई.आई.टी. का बजट वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 5714 करोड़ रुपए था। जिसे 2019-20 के बजट में 6,223 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है।

6. स्वास्थ्य

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने के लिए निवेश की आवश्यकता के बावजूद भारतीय स्वास्थ्य नीति की दिशा स्वास्थ्य सेवाओं के बीमा आधारित मॉडल की ओर बढ़ती जा रही है, जो मूलतः स्वास्थ्य सेवा के निजीकरण को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कुल बजट (आयुष के बिना) वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2019-20 में 7200 करोड़ रुपए बढ़ा है और इस वृद्धि का 55 प्रतिशत हिस्सा आयुष्मान भारत 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पी. एम.जे.ए.वाई.) को मिला है। रिपोर्टों के अनुसार इस योजना को कार्यान्वित करने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने वर्ष 2019-20 के खर्च के लिए 7400 करोड़ रुपए मांगे थे पर उसे 6400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह दो या तीन टियर शहरों में निजी निवेश प्रोत्साहित करने के लिए भूमि व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी। यह स्कीम केन्द्र समर्थित स्कीम के रूप में कार्य कर रही है जिसमें केन्द्र का 60 प्रतिशत योगदान है। अभी तक इस स्कीम को पांच राज्य सरकार नकार चुके हैं - दिल्ली, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल व ओडिशा। अन्य राज्यों में भी इस स्कीम के लिए केन्द्रीय सरकार की धनराशि समय पर न मिलने की शिकायतें की हैं। इससे संदेह होता है कि जिस तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में मरीजों तक सेवा न पहुंचने की शिकायतें थीं, वे इस स्कीम में सामने आएंगी।

नीति की दिशा में बदलाव का प्रतिकूल असर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर पड़ा है जिसका उद्देश्य गांवों व शहरों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है। वर्ष 2014-15 में कुल स्वास्थ्य बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा 61 प्रतिशत था (वास्तविक खर्च)। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में यह हिस्सा मात्र 49 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2017-18 के वास्तविक खर्च की तुलना में वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 1.5 प्रतिशत की गिरावट आई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में भी निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ती जा रही है। कुछ राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) की राह पर धकेला जा रहा है। इसे कई राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ व पंजाब में जन-विरोध का सामना करना पड़ा है। इन प्रवृत्तियों से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को पीछे कर निजीकृत स्वास्थ्य मॉडल को बढ़ाने के कुप्रयास का संकेत मिलता है।

आयुष्मान भारत का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य व वेलनेस केंद्र हैं व इनके लिए आवंटन वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 1200 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 1600 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। हाल के एक साक्षात्कार में नीति आयोग के एक सदस्य ने कहा कि सरकार जिला अस्पतालों को मजबूत करने में भारी निवेश कर रही है व सभी राज्यों में एम्स की स्थापना कर रही

है। यदि बजट को देखें तो ‘नए मेडिकल कालेज की स्थापना’ (जिले अस्पताल को अपग्रेड करना) के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान की तुलना में इस वर्ष 31 प्रतिशत कम कर दी गई है।

राजग सरकार ने कहा है कि वह मातृ स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है पर इससे जुड़े जन्म व शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में कमी हुई है (हालांकि पहले कुछ वृद्धि हुई थी)। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का आवंटन 2018-19 बजट अनुमान जितना ही रहा है।

क्या राज्य स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं - 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों का असर?

14 वें वित्त आयोग की समय अवधि के दौरान 25 राज्यों के बजट के खर्च की प्राथमिकताओं के एक विश्लेषण से पता चलता है कि 13 राज्यों (जैसे असम, बिहार, मिजोरम व हिमाचल प्रदेश) ने स्वास्थ्य पर खर्च को प्राथमिकता दी है। असम के स्वास्थ्य बजट को अधिक ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहां स्वास्थ्य बजट में वृद्धि शहरी स्वास्थ्य सेवाओं व मेडिकल शिक्षा व प्रशिक्षण में अधिक निवेश के कारण हुई है। बिहार में 14 वें वित्त आयोग की अवधि में शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक आवंटन हुआ है। जिन राज्यों में इस अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकता कम हुई है उनमें कर्नाटक, पंजाब व उत्तराखण्ड हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में अधिक निवेश की जरूरत बनी रहेगी

वर्ष 2014-15 से संघीय सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु आवंटन/खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत के आपसपास बना रहा है। वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य के कुल खर्च (केन्द्र व राज्य) को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक ले जाना है तो इसमें से 40 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र को वहन करना पड़ेगा। पर संघीय सरकार का आवंटन तो 0.3 प्रतिशत पर स्थिर है। बजट संसाधनों में यह जकड़न इस समय देखी जा रही है जब कुल मिलाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है। वर्ष 2017-18 में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1,049 करोड़ रुपए खर्च न कर लौटा दिए। इसकी एक वजह यह बताई गई कि रिक्त स्थानों को भरा न जा सका। यदि विभिन्न राज्यों में ढांचागत स्तर पर व मानवीय संसाधनों के स्तर पर कमियों को देखें तो यह बहुत चौंकाने वाली हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों को कम वेतन देते हुए उनको ठेका पद्धति की ओर ले जाया जा रहा है।

इस स्थिति में यह जरूरी है कि विभिन्न सरकारें सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करें। लोगों को बीमा-आधारित स्वास्थ्य सेवा मॉडल की ओर धकेलने के स्थान पर सभी लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना चाहिए।

तालिका
ढांचागत व मानवीय संसाधनों की कमी (%)
(मार्च 31, 2018 की स्थिति)

राज्य	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी (सर्जन, महिला विशेषज्ञ, बाल-विशेषज्ञ आदि)	नियमित जल आपूर्ति से वर्चित एस.सी.	बिजली आपूर्ति से वर्चित एस.सी.	बारहमासी मोटर सड़क से वर्चित एस.सी.
असम	77	12	57	9
बिहार	86	49	64	उपलब्ध नहीं
छत्तीसगढ़	92	27	15	11
झारखण्ड	87	53	67	25
मध्य प्रदेश	80	27	36	6
ओडिशा	83	30	49	3
राजस्थान	76	34	32	10
उत्तर प्रदेश	94	0	36	35
पश्चिम बंगाल	91	7	22	10
भारत	82	17	25	10

स्रोत - ग्रामीण स्वास्थ्य आंकड़े (2018)

7. पेयजल व स्वच्छता

- खुले शौच को समाप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ने प्रशंसनीय प्रयास किए हैं। पर फोकस शौचालय बनाने पर अधिक रहा है व उनके वास्तविक उपयोग व व्यवहार में बदलाव पर अपेक्षाकृत कम जोर रहा है।
- एक ओर जहाँ ग्रामीण स्वच्छता के लिए जो आवंटन बढ़ाए गए वहीं दूसरी ओर ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए आवंटन कम किया गया।
- आर्सनिक व फ्लोराईंड प्रदूषण की समस्या दूर करने के लिए आर्सनिक व फ्लोराईंड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन वर्ष 2017 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य इस समस्या से त्रस्त 28,000 आबादी के लिए मार्च 2021 तक सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करनी थी। इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। किन्तु सार्वजनिक पटल पर इस महत्वपूर्ण उप-मिशन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- बजट के आवंटन के स्तर पर देखें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व शहरी का वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान का क्रमशः 10,000 करोड़ व 2750 करोड़ रुपए का आवंटन है यानि कुल 12750 करोड़ रुपए। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान के 17843 करोड़ रुपए के आवंटन की अपेक्षा यह काफी कम है। यह ध्यान देने की बात है कि अभी स्वच्छता अभियान की कई चुनौतियां आगे हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का आवंटन वर्ष 2018-19 (बजट अनुमान) में 7000 करोड़ रुपए था जिसमें कुछ वृद्धि कर 2019-20 के बजट अनुमान में 8201 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- हालांकि इनसैनिटरी शौचालयों व मैला ढोने को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित किया गया है। पर 23.7.2018 तक 14678 मैला ढोने के कार्य (या मैनुअल स्कैवर्जिंग के कार्य) में लगे व्यक्ति चिह्नित हुए हैं। इतना ही नहीं, इनके पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार की स्कीम के लिए जरूरी धन वर्ष 2014-15 के बाद से ही मुहैया नहीं कराया गया है।

हाल के समय में ग्रामीण भारत में सैनिटरी शौचालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2015-16 के नैशनल सॅम्प्ल सर्वे ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के 10 में से 6 शौचालयों में जल आपूर्ति नहीं थी। व्यवहार बदलाव पक्ष भी काफी हद तक उपेक्षित रहा है।

स्वच्छता व पेयजल मंत्रालय का आवंटन बढ़ा है और यह वर्ष 2017-18 में अपने शीर्ष पर पहुंच गया। इसमें मुख्य वृद्धि स्वच्छ भारत (ग्रामीण) में रही। तालिका में स्वच्छ भारत मिशन में 2018-19 की तुलना में अगले वर्ष स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में गिरावट व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में वृद्धि दिखाई पड़ती है। स्वच्छता व जल क्षेत्रों में यह अदला-बदली की प्रवृत्ति बनी रही है - एक का बजट बढ़ता है तो दूसरे का कम होता है - जबकि दन दोनों क्षेत्र में परस्पर पूरकता है व इनके बजट साथ-साथ

बढ़ने चाहिए।

जल व स्वच्छता क्षेत्रों में गुणवत्ता और टिकाऊपन के अतिरिक्त कम संसाधन उपलब्धि, उसके कम उपयोग व पारदर्शिता के अभाव के कारण इच्छित परिणाम प्राप्त करने में बाधा आती है। स्वच्छ भारत मिशन उपकर सभी सेवाओं पर लगाया गया। इसे एक लेप्स न होने वाले राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में हस्तांतरित होना था। पर सीएजी ने बताया कि एक चौथाई एकत्रित राशि इस कोष से बाहर ही रह गई। इस उपकर के धन का सही उपयोग हो, इसके लिए पारदर्शी प्रक्रियाएं निर्धारित होनी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत समय पर पर्याप्त संसाधन उपलब्धि न होने पर भी चिन्ता व्यक्त की गई है। पहली तिमाही में इन कार्यक्रमों पर अधिक धन खर्च हुआ है, जबकि अन्तिम तिमाही में संसाधन मिलना कठिन रहा व कुछ स्थानों पर कुल वार्षिक खर्च का मात्र 1 से 2 प्रतिशत ही अंतिम 2 तिमाही में खर्च हुआ।

तालिका -7

पेयजल एवं स्वच्छता स्कीमों के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)

कार्यक्रम	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 संशो.अनु.	2019-20 बजट अनु.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	9,242	4,370	5,980	7,038	5,500	8,201
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	2,841	6,703	10,484	16,948	14,478	10,000
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	859.5	766	2,135	2,539	2,500	2,750

स्रोत : सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से संकलित।

8. पोषण व खाद्य सुरक्षा

पोषण भारत में सबसे चिंताजनक समस्याओं में से एक है। भारत में 5 करोड़ 30 लाख बच्चों में आयु के अनुकूल ऊंचाई कम है व गर्भ-धारण आयु वर्ग में आधी से अधिक महिलाएं अनेमिक हैं, उनमें खून की कमी है। वर्ष 2014-15 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने इस समस्या के समाधान के लिए एक समग्र रणनीति की बात की थी। पर पिछले 5 वर्षों में भारत की पोषण की स्थिति लगभग पहले जैसी ही बनी रही है।

1. वादे व नीति घोषणाएं

1.1 बीजेपी के वादे

भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया - सबसे गरीब लोगों की प्रगति पर अधिक ध्यान, कुपोषण दूर करने को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाए, इस पर मिशन स्थापित हो, सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा मिले व इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का जरूरी हिस्सा माना जाए, बच्चों के कुपोषण व अल्प पोषण दूर करने पर जोर दिया जाए।

1.2 एनडीए सरकार के दौरान पोषण नीतियां

दिसंबर 2017 में पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) आंरंभ किया गया। इसका उद्देश्य यह बताया गया कि महिलाओं, किशोरियां व बच्चों में अल्प-पोषण और अनेमिया को त्वरित गति से कम करना। 2017-18 से शुरू होते हुए इस मिशन का तीन वर्ष का बजट 9046 करोड़ रुपए रखा गया। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/क्षेत्रों की एकजुटता का प्रयास इसमें होना था।

- सरकार ने सप्लीमेंटरी पोषण के मूल्य के मानक में सुधार किया।
- सितंबर 2018 में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया।
- मातृत्व लाभ कार्यक्रम को बाद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नाम दिया गया। इसे सभी जिलों तक फैलाया गया। पर साथ में इसे पहले बच्चे तक सीमित कर दिया गया व लाभ को 6000 के स्थान पर 5000 रुपए तक कम कर दिया गया।
- नीति आयोग ने 2017 में राष्ट्रीय पोषण नीति की घोषणा की।
- सितंबर 2017 में पोषण पर राष्ट्रीय तकनीकी बोर्ड की स्थापना की गई। इसे पोषण नीति के विषयों पर तकनीकी संस्तुतियों के लिए कहा गया।
- प्रधानमंत्री ने आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सितंबर 2018 में बेहतर आय की घोषणा की।

2. 2014-14 से 2019-20 तक पोषण पर सार्वजनिक खर्च

पोषण पर सार्वजनिक खर्च वर्ष 2014-15 में 2.39 लाख करोड़ रुपए था व वर्ष 2019-20 के

बजट अनुमान में 3.64 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह इस समय भी सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से कम है। यदि कुल बजट खर्च के प्रतिशत के रूप में पोषण पर खर्च को देखें तो यह 2014-15 (वास्तविक खर्च) में 14.4% था जबकि 2019-20 के बजट में यह कम होकर 13.6% रह गया है। यदि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह इस अवधि में 1.9% से गिरकर 1.7% पर सिमट गया है। कुल मिलाकर संसाधन उपयोग करने में उतार-चढ़ाव आते रहे। 2014-15 से चार वर्षों में संसाधन-उपयोग का प्रतिशत इस प्रकार रहा – 92.9, 112.8, 94.3 व 88.5 प्रतिशत।

तालिका 8.1

पोषण का बजट 2014-15 से 2019-20 (बजट अनुमान) (रुपए करोड़)			
वर्ष	पोषण पर कुल खर्च	पोषण पर कुल खर्च का कुल बजट से प्रतिशत	पोषण पर कुल खर्च का जीडीपी का प्रतिशत
2014-15 (वास्तविक)	2,39,753	14.4	1.9
2015-16 (वास्तविक)	2,56,936	14.3	1.9
2016-17 (वास्तविक)	2,47,497	12.5	1.6
2017-18 (वास्तविक)	2,63,936	12.7	1.6
2018-19 (संशो. अनु.)	3,44261	14.3	1.8
2017-18 (बजट अनु.)	3,64200	13.6	1.7

स्रोत : सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से संकलित व आकलित।

नोट : पोषण के बजट में सम्मिलित योजनाएं - कोर आईसीडीएस/आंगनवाड़ी सेवाएं, राष्ट्रीय क्रेच योजना, आईजीएमएसवाई/एमबीपी /पीएमएमवीवाई, सबला, एनआरएचएम + एनयूएचएम, खाद्य सबसिडी, मिड-डे मील, आरएमएसए, एनआरडीडबल्यूपी, एसबीएम (ग्रामीण व शहरी), मनरेगा, एनएमएल (ग्रामीण+शहरी), एनएसएपी, एनएमओओपी, आरकेवीवाई, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और राष्ट्रीय बागवानी मिशन

9. जेंडर

जेंडर बजट स्टेटमेंट : कुछ विचार

जेंडर बजट स्टेटमेंट का उद्देश्य है कि विभिन्न संघीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटित बजट की एक समग्र समझ बनाना। यह वक्तव्य दो भागों में प्रस्तुत होता है - भाग ए में वे स्कीम व कार्यक्रम हैं जो पूरी तरह महिलाओं के लाभ के लिए हैं जबकि भाग बी में वे हैं जिनसे कम से कम 30 प्रतिशत लाभ (पर शत-प्रतिशत नहीं) महिलाओं व लड़कियों को मिलता है। वर्ष 2019-20 के बजट-अनुमान में जेंडर बजट 1,31,700 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष के बजट-अनुमान (1,24,367 करोड़ रुपए) की तुलना में 7,333 करोड़ रुपए अधिक है।

इस वक्तव्य के भाग ए में आवंटन वर्ष 2014-15 से उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। आरंभिक गिरावट केन्द्रीय समर्थन स्कीमों में ऐसे संरचनात्मक बदलाव के अंतर्गत आई जिसमें ऐसी अनेक स्कीमों में संघीय सरकार का हिस्सा कम हुआ। भाग ए में आवंटन 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 26,544 करोड़ रुपए था जो 2019-20 (बजट अनुमान) में थोड़ा सा कम होकर 26,504 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वर्ष 2017-18 के वास्तविक खर्च की तुलना में यह गिरावट और अधिक है। इसी अवधि के दौरान वक्तव्य के भाग बी में आवंटन बढ़ा है। पर हाल के वर्षों में पार्ट बी के लिए मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टिंग में सुधार नहीं हुए हैं। उनके द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित जेंडर भेदभाव व अन्याय दूर करने के लिए समाधान नहीं सुझाए गए हैं।

जेंडर आधारित हिंसा

महिला व बाल विकास के मंत्रालय के बजट में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पर केवल महिलाओं के लिए ए भाग में हुए आवंटन को देखने से पता चलता है कि वर्ष 2018-19 (बजट अनुमान) में जो 4,271 करोड़ रुपए का जो आवंटन हुआ था, 2019-20 का बजट अनुमान का आवंटन 4,078 करोड़ रुपए उससे 5 प्रतिशत कम है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की प्रमुख स्कीम 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के बारे में बताया गया कि इसके आधे से अधिक संसाधनों का खर्च मीडिया में प्रचार पर हुआ।

पिछले वर्ष से महिला विरोधी हिंसा को कम करने की स्कीमों के लिए आवंटन में कमी आई है। स्वाधार गृह स्कीम सहायता व पुनर्वास के लिए है। इसके बजट में वर्ष 2018-19 (बजट अनुमान) की तुलना में 47 प्रतिशत की कमी आई है। ट्रैफिकिंग रोकने की स्कीम उज्ज्वला का आवंटन आधा हुआ है व महिलाओं की हेल्पलाईन के आवंटन में 38 प्रतिशत की कमी हुई है।

घोषणा पत्र में बलात्कार व एसिड हमलों की शिकार महिलाओं की भलाई की स्कीमों संबंधी किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। 'घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा' अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को जो सहायता दी जा रही थी वह रोक दी गई है जबकि समस्या की गंभीरता को देखते हुए इसे जारी रहना चाहिए था।

महिला हिंसा संबंधी स्कीमों को उचित प्रोत्साहन व आवंटन नहीं मिल सके हैं। निर्भया कोष का उपयोग विभिन्न वर्षों में काफी कम किया गया है। ऐसे कोष के उचित उपयोग की स्पष्ट समझ विकसित न होना भी कोष का उपयोग कम करने का कारण है। कोष का उचित उपयोग, राज्यों को सहायता को जारी रखने व इस विषय पर समग्र कार्यक्रम व सोच बनाना आवश्यक है ताकि महिला हिंसा में महत्वपूर्ण कमी करने में सफलता मिले। महिलाओं के सशक्तीकरण के राष्ट्रीय मिशन को वर्ष 2018-19 (बजट अनुमान) में 267 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। इसे 2019-20 के बजट अनुमान में मात्र 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम (स्टेप) में वर्ष 2018-19 (बजट अनुमान) में 5 करोड़ रुपए का आवंटन था। इसे वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) में 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना परियोजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए का आवंटन है। सरकार के अनुसार इस स्कीम के 51.7 लाख लाभार्थी हैं। इसके लिए यह प्रावधान कम है। आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी संख्या बढ़ाना, कार्यस्थितियां बेहतर करना जरूरी है।

महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान और स्वीकृति की दिशा में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। वर्ष 2018-19 (बजट अनुमान) में इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन था। इसे बढ़ाना चाहिए। महिलाओं का कृषि भूमि पर स्वामित्व प्रायः न होने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रायः उन तक सीधा नहीं पहुंचेगा। यदि महिला भूमि स्वामित्व व महिला किसानों की पहचान के कार्य आगे बढ़ें तो किसान हित की स्कीमों का लाभ महिलाओं को भी प्रत्यक्ष मिल पाएगा।

10. बच्चे

एन.एफ.एच.एस.-4 के अनुसार बाल स्वास्थ्य के संकेतकों में, विभिन्न बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बावजूद ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। 5 वर्ष से कम आयु के 38 प्रतिशत बच्चों में स्टॉटिंग है व 58 प्रतिशत में अनेमिया है। प्रतिकूल लिंग अनुपात व उच्च बाल मृत्यु दर जैसी अन्य गंभीर समस्याएँ हैं। ‘बाल-गृहों में बच्चों की स्थिति’ पर सर्वेक्षण में इन आश्रय स्थलों की सुरक्षा संबंधी चिंताजनक स्थिति सामने आई।

सरकारी ओँकड़ों के अनुसार भारत में लगभग एक करोड़ बाल मजदूर हैं। बाल मजदूर (प्रतिबंध व नियमन) कानून का संशोधन सही दिशा में नहीं था। इसने 14 से कम आयु के बच्चों को मजदूरी से प्रतिबंधित तो किया है, पर पारिवारिक व्यवसाय में काम की छूट दी है।

बच्चों पर कार्यवाही की राष्ट्रीय योजना (2005) व राष्ट्रीय बाल नीति (2013) महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज हैं जिनमें सभी बच्चों के जीवन, शिक्षा, सुरक्षा व भागेदारी के अधिकारों की स्वीकृति मिली है। हालांकि वास्तविक नीतियां सदा इस सोच से मेल नहीं रखती हैं।

बाल बजट स्टेटमेंट

स्टेटमेंट 12 का विश्लेषण

केन्द्रीय बजट में बच्चों पर होने वाले खर्च का प्रतिशत वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) में 3.4 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 की तुलना में इस वर्ष बच्चों के लिए आवंटन में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बाल बजट (2019-20) में सर्वाधिक हिस्सा स्कूल शिक्षा व साक्षारता विभाग (58 प्रतिशत) व महिला व बाल विकास मंत्रालय (30.5 प्रतिशत) का है। अनेक अन्य स्कीमों में बाल पक्ष को चिह्नित कर बाल बजट स्टेटमेंट को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

बाल बजट, 2019-20 में वृद्धि के मुख्य स्रोत हैं - अंगनवाड़ी, सर्व/समग्र शिक्षा अभियान व मिड डे मील कार्यक्रम। आंगनवाड़ी व समग्रीकृत बाल सुरक्षा स्कीम को छोड़कर अन्य बाल-हित स्कीमों में मामूली वृद्धि ही हो पाई है। समग्रीकृत बाल रक्षा स्कीम में आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि तो हुई है, फिर भी इस क्षेत्र की बड़ी चुनौतियों को देखते हुए यह वृद्धि पर्याप्त नहीं है।

समग्र शिक्षा अभियान को 36322 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जो इस क्षेत्र की आवश्यकता की तुलना में कम हैं।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी जिला स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति अच्छी नहीं है। 2019-20 के बजट अनुमान की तुलना पिछले वर्ष के बजट अनुमान से करें तो माध्यमिक शिक्षा में छात्राओं के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय स्कीम का आवंटन कम हुआ है व अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक से पूर्व की छात्रवृत्ति का आवंटन भी कम हुआ है। हालांकि दलितों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति को 125 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 355 करोड़ रुपए किया गया है।

तमाम प्रत्याशाओं के विपरीत, सरकार शिक्षा पर नई राष्ट्रीय नीति अब तक जारी नहीं कर पाई है। बच्चों की भलाई की राष्ट्रीय योजना के लिए पर्याप्त निवेश नहीं हो सका है। इस तरह एनडीए सरकार बाल कल्याण को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं रही है।

11. विकलांगजन

केन्द्रीय बजट में विकलांग व्यक्तियों के लिए आवंटन का हिस्सा वर्ष 2018-19 (बजट अनुमान) में 0.11 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) में यह कम होकर मात्र 0.07 प्रतिशत रह गया। (देखें तालिका)।

अनेक मंत्रालयों व विभागों के बजट में अलग से विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई विवरण नहीं है। केवल 8 मंत्रालयों ने उनसे संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों का जिक्र किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस वर्ग के लिए अलग से आँकड़े प्रस्तुत किए हैं। विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए नोडल विभाग का बजट 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 1070 करोड़ रुपए था जो 2019-20 (बजट अनुमान) में बढ़कर 1145 करोड़ रुपए हो गया।

यह सराहनीय है कि विकलांग व्यक्तियों पर कन्वेंशन को भारत में कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम 2016 व मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 बनाए हैं। पर इन अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए बजट का आवंटन विभिन्न राज्यों में नहीं हुआ है एवं अनेक राज्य सरकारों ने तो अभी अधिनियम को असरदार बनाने के लिए जरूरी नियम भी नहीं बनाए हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम के क्रियान्वयन की स्कीम (सिपडा) के लिए आवंटित धन मुख्य रूप से एसेसिबल इंडिया अभियान, कुशलता विकास कार्यक्रम व जागरूकता बढ़ाने की स्कीम पर खर्च हुए हैं। नए भारत की रणनीति @ 75 दस्तावेज में सभी सामाजिक क्षेत्रों में 5 प्रतिशत आवंटन विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के लिए रखने की बात थी, पर इसके लिए कोई दिशा निर्देश या विज्ञप्ति जारी नहीं हुए हैं।

विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों की शिक्षा मजबूत करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय फैलोशिप कार्यक्रम को महत्वपूर्ण माना है एवं अन्य शिक्षा कार्यक्रमों में भी इसकी व्यवस्था है। इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के विश्लेषण से पता चलता है कि आवंटित राशि का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। सीएजी ने वर्ष 2016-17 एवं इससे पहले के वर्षों के लिए इस आवंटन का उपयोग न होने के लिए प्रस्तावों के अभाव को एक वजह बताया है।

इस विषय पर महत्वपूर्ण संस्थान, ‘भारत की पुनर्वास परिषद’ के बजट में बहुत मामूली सी वृद्धि की गई है। इसके तीन वर्ष के एजेंडा के अन्तर्गत इसके क्षेत्रीय केन्द्र बनते हैं व उनके लिए अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता है जो उपलब्ध नहीं हुआ है। साईन भाषा संस्थान के लिए बहुत पहले प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी पर इसके विकास के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। यूनिवर्सल डिजाईन के संस्थान के लिए भी बहुत कम बजट (50 लाख रुपए) आवंटित हुआ है।

निष्कर्ष व विचार

जो कानून बने हैं उनके क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्धता तो व्यक्त की गई है पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हुए हैं। नए कानूनों के उद्देश्यों को आगे ले जाने के लिए जो अवसर उपलब्ध हैं उनका

समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाली टैक्स छूट सही है, पर इसका उन अधिसंख्य विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों से सरोकार नहीं है जो कि अभी टैक्स सीमा से बाहर हैं। विशेषकर निर्धन व कम आय के विकलांगता प्रभावित लोगों की समस्याएं जटिल और उनके लिए बहुत कुछ करने की चुनौती सामने हैं।

तालिका 11.1

विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के लिए संघीय बजट में आवंटन (रुपए करोड़)

वर्ष	विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के लिए आवंटन	विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के लिए आवंटन का कुल बजट से अनुपात (%)
2014-15 (बजट अनु.)	2062.9	0.11
2015-16 (बजट अनु.)	1956.2	0.11
2016-17 (बजट अनु.)	1998.9	0.10
2017-18 (बजट अनु.)	2140.0	0.09
2018-19 (बजट अनु.)	2793.9	0.11
2017-18 (बजट अनु.)	1942.2	0.07

स्रोत : सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से संकलित।

नोट : इस बजट में सम्मिलित हैं - विकलांग सशक्तीकरण विभाग के आवंटन, एसएसए का आईईडी भाग (2017-18 तक व 2018-19 का आईईडी हाई स्कूल स्तर तक) मानव संसाधन मंत्रालय, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान व राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के आवंटन, ग्रामीण विकास मंत्रालय की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना।

(यह अध्याय 'इक्वल्स - सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ सोशल जस्टिस' द्वारा तैयार किया गया है)

12. अनुसूचित जातियां

सत्ताधारी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मजबूत प्रतिबद्धता जताई थी कि सामाजिक व आर्थिक न्याय व राजनीतिक सशक्तीकरण के आधार पर अनुसूचित जातियों व अन्य समूहों के बीच की दूरी को दूर करेंगे। पर इस सरकार के 5 वर्षों में अनुसूचित जातियों की स्थिति में शायद ही कुछ सुधार हुआ है। हाल के कुछ वर्षों में तो अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं जिसमें भीड़ हिंसा भी है। मैला ढोने व सीवर साफ करने में लगे अनेक व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हुई है। अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नजर नहीं आता है। दूसरी ओर बजट संबंधी हाल के बदलावों से अनुसूचित जातियों के समग्र विकास की बजट रणनीतियां कमजोर हुई हैं। अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए नोडल विभाग सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण का विभाग है। इस विभाग का बजट व अनुसूचित जातियों के कल्याण से जुड़े अधिकांश स्कीमों का बजट जरूरतों के अनुसार नहीं बढ़ा है।

हाल के कुछ वर्षों में अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए आवंटन में उतार-चढ़ाव आए हैं। 2014-15 में उप-योजनाओं के बजट अनुमान की तुलना 2015-16 के बजट अनुमान से करें तो इसमें लगभग 20000 करोड़ रुपए की कमी आई। इसके बाद के वर्षों में अनुसूचित जाति उप-योजना का आवंटन बढ़ता रहा। सबसे बड़ी वृद्धि हाल के बजट में हुई है। 2018-19 में उप-योजना का बजट अनुमान 56,619 करोड़ रुपए था जिसे 2019-20 के बजट-अनुमान में 76,801 करोड़ रुपए किया गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से कृषि, सहकारिता व किसान कल्याण, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा व साक्षरता, महिला व बाल विकास आदि विभागों के बजट में अनुसूचित जातियों के लिए अधिक बजट रखने के कारण दर्ज हुई है व यह स्पष्ट नहीं है कि इस वृद्धि का वास्तविक लाभ अनुसूचित जातियों को हो पाएगा। इस उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद अनुसूचित जाति उप योजना केन्द्रीय बजट के 16.6% के लक्ष्य से दूर है। कभी-कभी तो इसके अन्तर्गत प्रावधानों का औचित्य समझ नहीं आता है, जैसे कि ज्योलोजिक सर्वे के अन्तर्गत दर्ज अनुसूचित जाति उप-योजना का आवंटन।

सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण के विभाग का बजट 2014-15 के बजट अनुमान में 6213 करोड़ रुपए था जबकि 2019-20 के बजट अनुमान में 7800 करोड़ रुपए है। इस तरह 5 वर्षों में मात्र 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस विभाग की अनेक स्कीमों में आवंटन वृद्धि धीमी रही। अनुसूचित जाति के छात्र के लिए मैट्रिक के बाद की स्कीम ऐसी ही एक स्कीम है जिसके लिए राज्यों से बढ़ती मांग है व पहले की बकाया राशि शेष है, फिर भी वर्ष 2019-20 का आवंटन पिछले वर्ष के आवंटन से कम है। इसका स्कीम के क्रियान्वयन पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है। मैला ढोने वालों की

स्व-रोजगार स्कीम का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ है।

2019-20 का केन्द्रीय बजट अनुसूचित जातियों के लिए कुछ विशेष नहीं कर सका है। स्टेटमेंट 10 ए में जो अनुसूचित जातियों के बजट की वृद्धि दिखाई गई है वह जनसंख्या के हिस्से पर आधारित 16.6 प्रतिशत के लक्ष्य से दूर है व उपयोजना में रिपोर्ट की गई अनेक स्कीमों की उपयोगिता भी संदिग्ध है। इस तरह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति उप योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सुधार जरूरी हैं।

13. अनुसूचित जन-जातियां

अनुसूचित जन-जाति समाज के सबसे वर्चित तबकों में से एक है। वे राज्य की विकास नीतियों के समुचित लाभ से प्रायः वर्चित रहे हैं। मौजूदा सत्ताधारियों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में आदिवासियों के सशक्तीकरण व भलाई के लिए एवं उनकी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए समग्र नीति का वादा किया था।

हाल के वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिनका असर अनुसूचित जन-जातियों के बजट पर पड़ा है। योजना आयोग को समाप्त करने, संघीय बजट में योजना एवं गैर-योजना खर्चों को मिला देने का असर आदिवासी उप-योजना व अनुसूचित जन-जातियों के विकास की बजट नीति के क्रियान्वयन व आकलन पर पड़ा।

विश्लेषण से पता चलता है कि आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आवंटन व आदिवासी उप-योजना के आवंटन में पिछले 5 वर्षों में वृद्धि हुई है। इन दोनों के अंतर्गत आवंटित संसाधनों का उपयोगिता स्तर पर भी निरंतरता से ऊँचा रहा है। यह उप-योजना में वृद्धि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के विभागों में वृद्धि के कारण दर्ज हुई है क्योंकि उसका कुछ हिस्सा भी आदिवासी उप-योजना में दिखा दिया जाता है। यह कुल वृद्धि आदिवासियों की भलाई के लिए लाई गई किसी नई स्कीमों के कारण नहीं दर्ज हुई हैं। बजट के वक्तव्य 10 बी में दर्ज वृद्धि सामान्य क्षेत्र स्कीमों के कारण हैं जिनके लाभ अनुचित जातियों तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी। इस तरह की कृत्रिम वृद्धि के बावजूद आदिवासी उप-योजना का बजट में हिस्सा 8.6 प्रतिशत के लक्ष्य (जो आदिवासी जनसंख्या के प्रतिशत से निर्धारित होता है) से दूर है।

हालांकि, आदिवासी मामलों के मंत्रालय के बजट पिछले 5 वर्षों में बढ़ते रहे हैं, पर यह वृद्धि मामूली रही है। वर्ष 2018-19 में आदिवासी मंत्रालय ने 6,659 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए थे जिसमें से उसे 6,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। 2019-20 के बजट अनुमान में यह आवंटन 6,527 करोड़ रुपए तक पहुंचा है।

पिछले पांच वर्षों में वनबंधु कल्याण योजना व अनुसूचित जन-जाति बच्चों की समग्र स्कीम का आवंटन बढ़ा है। यह स्वागत योग्य है।

राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति स्कीम के उचित परिणाम नहीं मिले हैं व पिछले 5 वर्षों में इसका लाभ 20 से अधिक छात्र प्राप्त नहीं कर सके। इसके लिए बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं व इनमें ढील देने से ही स्कीम का सही उपयोग हो सकेगा।

पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित जातियों के किसी पक्ष में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नजर नहीं आती है। अतः सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं व चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर कदम उठाना बहुत जरूरी है।

14. अल्पसंख्यक

बीजेपी के घोषणापत्र में शिक्षा, रोजगार आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की प्रगति के बादे पूरे नहीं किए जा सके। यदि उनके लिए बनाए गए 15-सूत्री कार्यक्रम व बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बजट को कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो इसमें 2014-15 से गिरावट की प्रवृत्ति नजर आती है। वर्ष 2017-18 में संघीय बजट का 0.5 प्रतिशत से भी कम हिस्सा अल्प संख्यकों के विकास के लिए आवंटित हुआ था। अल्प संख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट में पिछले 5 वर्षों में मामूली सी वृद्धि हुई है। इस वर्ष यह पहले जितना ही रहा है। इस मंत्रालय के लिए आवंटित राशि का उपयोग वर्ष 2014-15 और 2016-17 में निम्न स्तर पर रहा। इन दोनों योजनाओं का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।

छात्रवृत्ति की स्कीमों के लिए आवेदन करने वाले लगभग 35 लाख छात्र इन्हें प्राप्त करते हैं तो 85 लाख से अधिक इनसे वर्चित रह जाते हैं। विशेषकर मैट्रिक-पूर्व की छात्रवृत्ति स्कीम के लिए आवंटन कम होने की ओर विभागीय स्थाई समिति ने भी ध्यान दिलाया है। इन स्कीमों के लिए आवंटन मौजूदा 950 करोड़ रुपए के स्थान पर 2,493 करोड़ रुपए होना चाहिए ताकि छात्रवृत्ति की मांग पूरी हो सके। स्थाई समिति ने इन छात्रवृत्तियों की राशि पर्याप्त न होने के बारे में भी सवाल उठाए हैं।

15-सूत्री कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत स्थान नियुक्तियों में प्रोत्साहित करने की बात है। पर 2011-12 से 2015-16 तक केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों आदि में यह नियुक्तियां 6.24 और 8.56 प्रतिशत के बीच रहीं। सच्चर समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों जैसे राष्ट्रीय डेटा बैंक, समान अवसर आयोग, विविधता सूचकांक तैयार करने आदि का क्रियान्वयन नहीं हो सका।

अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिमों की संख्या 72 प्रतिशत है, पर अल्पसंख्यकों में मिलने वाले संस्थागत ऋण का 60 प्रतिशत ही मुस्लिमों तक पहुंचा। गांवों में तो यह कमी और विकट है, जैसा कि कई अध्ययनों ने बताया है। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया है व इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके कवरेज का दायरा 196 जिलों व 710 प्रखंडों से बढ़कर 308 जिलों/870 प्रखंडों तक पहुंच गया है। 2018-19 के संशोधित बजट में इस कार्यक्रम का बजट 1,320 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,431 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पर जितना कार्यक्रम का क्षेत्र बढ़ा है उसके अनुकूल बजट में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2019-20 के बजट में कुछ प्रमुख स्कीमों जैसे मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मौलाना आजाद प्रतिष्ठान व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के आवंटन में कमी आई है।

तालिका

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय - प्रमुख स्कीमों हेतु आवंटन (करोड़ रुपए)

	2014-15	2014-15	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17	2017-18	2017-18	2018-19	2019-20
(बजट अनु.)	(वास्तविक)	(बजट अनु.)	(वास्तविक)	(वास्तविक)	(बजट अनु.)	(वास्तविक)	(बजट अनु.)	(वास्तविक)	(संशो.अनु.)	(बजट अनु.)
मौलाना आजाद फालंडेशन	113	113	113	113	113	113	114	113	113	123.7
मेरिट भीन्स / छात्रवृत्तियाँ	3020315	335	220	393.54	388.7	402	506			
निशुल्क कोचिंग	22.5	31.3	45	44.8	45	40	48	45.5	74	125
मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियाँ	990	1128.8	990	1015.7	931	369.25	950	1026	1269	1100
मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्तियाँ	538.5	501.3	550	552.8	550	287	550	479.7	500	530
मौलाना आजाद फैलोशिप	45	0.12	44.85	55.5	80	120	100	124.8	153	155
एससीए/एनएमडीएफसी को ग्रांट व इक्विटी										
	108	30	-	120	142	140	170	170	167	62
एमएसडीपी/ प्र. जन वि. कार्यक्रम	1242	768.2	1242	1120.7	1125	1082	1200	1197.6	1320	1431.3

श्रोत : सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से संकलित।

15. शाश्वत ऊर्जा

नीति आयोग के तीन वर्षीय एजेंडा ने शाश्वत ऊर्जा के हिस्से को वर्ष 2030 तक 40 प्रतिशत करने के लिए कहा है व शाश्वत ऊर्जा की क्षमता को 2019-20 में 100 जी.डबल्यू तक पहुँचाने की बात की है। केन्द्रीय बजट के आवंटन इन लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं। वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) में नवीन व शाश्वत ऊर्जा मंत्रालय को जो आवंटन हुआ था उसमें 14 प्रतिशत वृद्धि कर 2019-20 के बजट में इसे 12,354 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया है। वर्ष 2018 तक शाश्वत ऊर्जा स्रोतों का कुल बिजली उत्पादन में हिस्सा मात्र 7.8 प्रतिशत तक ही पहुंच सका है।

तालिका 15.1

नवीन व शाश्वत ऊर्जा मंत्रालय के बजटीय आवंटन (करोड़ रुपए में)

वर्ष	आईईबीआर	जीबीएस	एनसीईएफ
2014-15 (बजट अनु.)	3,000	295	1,578
2014-15 (वास्तविक)	3,291	95	1,977
2015-16 (बजट अनु.)	3,373	95	2,500
2015-16 (वास्तविक)	6,113	92	3,990
2016-17 (बजट अनु.)	9,193	100	4,947
2016-17 (वास्तविक)	8,641	100	3,836
2017-18 (बजट अनु.)	8,244	50	5,342
2017-18 (वास्तविक)	10,491	50	3,688
2018-19 (बजट अनु.)	10,317	-	-
2018-19 (संशो.अनु.)	10,835	-	-
2019-20 (बजट अनु.)	12,354	-	-

स्रोत : सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से संकलित।

नोट : जीबीएस - सकल बजट समर्थन, आईईबीआर - आंतरिक व अतिरिक्त बजट संसाधन, एनसीईएफ - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 की तुलना करें तो ग्रिड-इण्टरएक्टिव शाश्वत ऊर्जा स्कीम में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है व अनुसंधान व विकास स्कीम में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आफ-ग्रिड/वितरित विकेंद्रित शाश्वत ऊर्जा स्कीम बहुत उपयोगी हो सकती है पर इसके आवंटन में वर्ष 2019-20 में 26 प्रतिशत की गिरावट है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर के लिए आवंटित संसाधन भी इसके लक्ष्य की प्राप्ति के

अनुरूप नहीं हैं। इस स्कीम में ट्रांसमीशन लाईन बिछाने का जो लक्ष्य है वह अभी तक की उपलब्धि से 8 गुणा अधिक है जबकि आवंटन 40 प्रतिशत ही बढ़ाया गया है। 2019-20 (बजट अनुमान) में कुल बजटीय समर्थन के अंतर्गत इस मंत्रालय के लिए संसाधन नहीं हैं। यह स्थिति आगे चलकर बहुत कठिनाई उत्पन्न कर सकती है।

हाल के वर्षों में शाश्वत ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश नहीं हो सका है। केवल वर्तमान आवंटनों को बनाए रखना पर्याप्त नहीं है। जरूरी तो यह है कि जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनके अनुरूप आवंटनों में जरूरी वृद्धि की जाए।

16. कर व वित्तीय पारदर्शिता

एनडीए-॥ सरकार के दौरान करों के क्षेत्र में कुछ बदलाव हुए हैं। केन्द्रीय कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2014-15 में 10 प्रतिशत था (वास्तविक) जबकि वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में यह 11.7 प्रतिशत है। अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा प्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्ति अधिक तेजी से बढ़ी है। सुधारों के बावजूद दो मुख्य चिंताएं बनी हुई हैं। पहली चिन्ता तो यह है कि अन्य बड़े विकासशील देशों की तुलना में कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात काफी कम हैं। दूसरी चिंता यह है कि इस समय भी कुल कर प्राप्ति का दो-तिहाई हिस्सा अप्रत्यक्ष करों से आता है।

एनडीए सरकार ने करों के विभिन्न पक्षों पर अनेक घोषणाएं की हैं।

प्रत्यक्ष करों को देखें तो व्यक्तिगत आय कर व कारपोरेट आय कर दोनों में बड़े बदलाव आए हैं। व्यक्तिगत आय कर की छूट सीमा पहले 2.5 लाख तक की गई, फिर 2019-20 में 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई। दूसरे शब्दों में 5 लाख रुपए से कम की आय वालों को आय कर से मुक्त कर दिया गया। इस बदलाव से 65 प्रतिशत वर्तमान आय कर दाता (3 करोड़ आय कर देने वाले) आय कर की सीमा से बाहर हो जाएंगे। कारपोरेट आय कर की दरों को भी कम किया गया है। 250 करोड़ रुपए तक के लाभ वाली कंपनियों के निगम कर-दर को 30% से घटाकर 25% कर दिया गया है। उन्हें दी गई कुछ टैक्स छूटें हटाई गई हैं, पर अनेक छूटें जारी हैं।

अप्रत्यक्ष करों में भी कुछ बड़े नीतिगत बदलाव हुए, जिनमें सबसे बड़ा है - जीएसटी। भारतीय संविधान ने संघीय व राज्य सरकारों को अलग कर अधिकार दिए हैं। जीएसटी के आगमन से इन पृथक टैक्स अधिकारों का स्थान जीएसटी परिषद ने ले लिया है, जिसमें केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री हैं व राज्यों के वित्त मंत्री। जीएसटी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके संघीयता, टैक्स देने वालों, टैक्स प्रशासन, आर्थिक गतिविधियों, विषमता आदि के बड़े संदर्भ में महत्वपूर्ण असर हैं।

इस सरकार की कर नीति का एक उल्लेखनीय पक्ष यह रहा है कि उपकर व सरचार्ज पर निर्भरता बढ़ी है। पहले के लगे उपकरों व सरचार्ज की दर बढ़ाई है, नए उपकर व सरचार्ज भी लाए गए हैं। इन बदलावों के कारण उपकर व सरचार्ज से होने वाली आय वर्ष 2014-15 में 75000 करोड़ रुपए (वास्तविक) से बढ़कर 2019-20 (बजट अनुमान) में 3,25,737 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है यानि कुल कर प्राप्तियों में इनका हिस्सा 6% से बढ़कर 13% तक पहुँच गया। यह प्रवृत्ति चिंताजनक है क्योंकि उपकर व सरचार्ज राज्यों के साथ साझा होने वाले पूल से बाहर हैं अतः इन्हें राज्य सरकारों के साथ बांटा नहीं जाता है।

वित्तीय पारदर्शिता

एनडीए-॥ सरकार ने निरंतरता से कहा है वह अवैध धन की बुराई को दूर करना चाहती है। इस घोषित उद्देश्य की दिशा में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जैसे नवंबर 2016 में ऊंचे मूल्य की मुद्रा का विमुद्रीकरण करना, कालाधन (गैर घोषित विदेशी आय व परिसंपत्ति) व कर लगाने का अधिनियम 2016

बनाना, भगोड़े व आर्थिक अपराधी अधिनियम बनाना व स्वैच्छिक आय घोषित करने की स्कीमें। जहां विमुद्रीकरण, काले धन के अधिनियम व स्वैच्छिक आय घोषित करने की स्कीमों का उद्देश्य उस अवैध धन को कम करना है जो पहले आय कर अधिकारियों को नहीं बताया गया था, भगोड़े आर्थिक अपराधियों के अधिनियम व बेनामी ट्रांसैक्शन (प्रतिबंध) अधिनियम ने आर्थिक अपराधियों को व रियल एस्टेट के माध्यम से काले धन को सुरक्षित बनाने वालों को बाधित करने का प्रयास किया है।

एनडीए सरकार-॥ ने जनरल एंटी-अवाएडेंस नियमों (गार) को केन्द्रीय बजट में 2015-16 एवं प्रभावी तौर पर 2017-18 में प्रवेश करवाया, ताकि वह लेन-देन जो विशेष आर्थिक महत्व के बिना केवल कर से बचने के लिए की जाती हैं उन्हें निर्यतित किया जा सके। भारत ने ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फोर्मेशन के लिए भी हस्ताक्षर किए जिससे भारत को भारत के बाहर के भारतीय नागरिकों की संपत्ति की जानकारी मिलेगी व भारत भी यहां के विदेशी नागरिकों के बारे में यह जानकारी उपलब्ध करवाएगा। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (महत्वपूर्ण लाभदायक स्वामी) नियम, 2018 व कंपनी अधिनियम, 2013 के संशोधन किए, जिसमें सभी भारतीय कंपनियों को वास्तविक स्वामित्व का आफिशियल रिकार्ड रखने को कहा गया। भारत ने ओ.ई.सी.डी.-जी 20 बेपस कार्यान्वित किया है जिससे कारपोरेट टैक्स से बचने की विभिन्न धांधलियों को दूर किया जा सकता है। भारत बेपस संस्तुतियों का क्रियान्वयन कर रहा है, विशेषकर 'गार' नियमों को कार्यान्वित कर, स्थाई इस्टेबलिशमेंट नियमों में संशोधन कर, महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति निर्देश आरंभ कर व देश-दर-देश रिपोर्टिंग के दस्तावेजीकरण की आवश्यकताओं को क्रियान्वित कर।

17. जीएसटी

भूमिका

जीएसटी जुलाई 2017 में आरंभ किया गया। हालांकि यह दावा किया गया कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था को सरल कर देगा, पर वास्तव में जीएसटी बहुत जटिल सिद्ध हुआ। इससे सूक्ष्म-लघु व मध्यम उद्यमों पर बहुत बोझ पड़ा, विशेषकर उनपर जो अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। (देखिए इंडियन एक्सप्रेस दियंबर 17, 2018 में अरुण जनार्धनन की रिपोर्ट - डिप्स इन जाब्स, प्राफिट्स फार एम.एस.एम.ई.एस., नोट बैन, जीएसटी टू ब्लेम)। जीएसटी अनेक बदलावों से गुजर चुका है व जीएसटी की दरें, नियम व कानून बदलने के लिए 900 से अधिक निर्णय लिए गए हैं। जो बदलाव किए गए वे जरूरी भी थे, ताकि सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्र की कठिनाईयां कम हो सकें।

संघीय बजट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीएसटी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अन्तर्गत एकत्र होने वाले राजस्व का केन्द्र के कुल राजस्व पर महत्वपूर्ण असर है और इस तरह पूरी राजकोषीय स्थिति प्रभावित होती है।

जीएसटी राजस्व प्राप्ति में कमी

वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में केन्द्र को प्राप्त होने वाले अनुमानित कुल सकल कर राजस्व में जीएसटी का हिस्सा 30 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के सकल कर राजस्व के संशोधित अनुमान में व 2019-20 के बजट अनुमान में इसका हिस्सा कुछ कम हो गया है। फिर भी यह केन्द्र के कुल एकत्रित कर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।

हालांकि, चिंता की बात तो यह है कि जीएसटी से एकत्र होने वाला कुल राजस्व संतोषजनक स्थिति से दूर है। यह कमी 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 2018-19 (बजट अनुमान) की तुलना में 1,00,000 करोड़ है। पिछले बजट में अनेक विश्लेषकों ने कहा था कि जीएसटी की अनुमानित राशि बहुत महत्वाकांक्षी रखी जा रही है। वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान से पता चल गया कि वे आकांक्षाएं जायज थीं। (देखें तालिका 17.1)। 2019-20 (बजट अनुमान) में भी जीएसटी प्राप्ति के बारे में उतने ही महत्वाकांक्षी स्तर पर अनुमान लगाया गया है एवं यह बताया गया है कि वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) की तुलना में वर्ष 2019-20 में केन्द्र की जीएसटी राजस्व प्राप्ति में 19 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

कर अनुपालन में कमी

जीएसटी राजस्व में कमी का एक कारण यह है कि जो इकाईयां जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनमें कर अनुपालन में निरंतरता से गिरावट आ रही है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि कुल रजिस्टर्ड इकाईयों में टैक्स न दाखिल करने वाली इकाईयों का प्रतिशत जुलाई 2017 व नवंबर 2018 तक निरंतरता से बढ़ा। अभी आंकड़े इस समय तक ही उपलब्ध हैं। रजिस्टर्ड करने वाली इकाईया बढ़ी, कुछ समय तक रिटर्न भी फाईल किया पर उसके बाद इनमें कमी आई (सितंबर 2018 से)।

तालिका 17.1

जीएसटी के अंतर्गत केन्द्रीय राजस्व प्राप्ति

संकेतक	2017-18* संशो.अनु.	2017-18* वास्तविक	2018-19* बजट अनु	2018-19* संशो.अनु	2019-20* बजट अनु.
कुल केन्द्रीय राजस्व प्राप्ति (सीजीएसटी+आईजीएसटी)	3,83,300	3,79,950	6,53,900	5,53,900	6,60,000
सीजीएसटी	2,21,400	2,03,262	6,03,900	5,03,900	6,10,000


नोट : * = जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर इसमें शामिल नहीं है

स्रोत : सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से संकलित।

कर अनुपालन में इस कमी के अनेक कारण हो सकते हैं। टैक्स से बचने की प्रवृत्ति भी एक वजह हो सकती है। ई-वे बिल को टैक्स बचने की प्रवृत्ति को रोकने का एक कारगर उपाय माना जा रहा था, पर यह भी सफल नहीं हुआ।

चित्र 17.1

नियमित जीएसटी कर दाताओं की वास्तविक संख्या (लाख में)



स्रोत : 4 जनवरी 2019 को लोक सभा में प्रश्न 4063 (अन-स्टार्ड) से गणना कर

निष्कर्ष

जीएसटी राजस्व में कमी भविष्य के लिए उचित संकेत नहीं है। जीएसटी से राजस्व उगाही के लक्ष्य को पूरा न करने से सरकार के खर्च, निवेशों, सामाजिक क्षेत्रों में खर्च पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस समय यह आवश्यक है कि कमजोर तबकों को अधिक सरकारी खर्च के माध्यम से राहत पहुंचाई जाए क्योंकि वे आजीविका संकट से जूझ रहे हैं।

18. जवाबदेही संस्थान व प्रक्रियाएं

वित्त मंत्री ने वर्ष 2019 के बजट भाषण में कहा कि सरकार ने पारदर्शिता का नया अध्याय आरंभ किया है। उन्होंने चार नीतियों का जिक्र अपने उस कथन के समर्थन में किया, पर इस बयान ने जो बताया उससे अधिक छिपाया।

अनेक राष्ट्रीय संस्थान जैसे केन्द्रीय चुनाव आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सीएजी, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग, महिला राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार रक्षा आयोग आदि लोकतांत्रिक शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता की विशेष जिम्मेदारी संभालते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इनके बजट आवंटन में मामूली सी वृद्धि हुई है। सूचना के अधिकार ने पारदर्शिता व जवाबदेही लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पर केन्द्रीय सूचना आयोग के आवंटन में कमी आई है। केन्द्रीय सूचना आयोग के लिए कुल आवंटन में वर्ष 2017-18 (संशोधित अनुमान) व 2018-19 (बजट अनुमान) के बीच 36 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। लोकपाल के लिए आवंटन में 50 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। केन्द्रीय सूचना आयोग के 11 आयुक्तों में से मात्र 3 की नियुक्ति हुई जबकि लोकपाल की अभी तक नियुक्ति ही नहीं हुई।

वर्ष 2018-19 के बजट में ‘चुनावी बांड’ के आगमन की घोषणा हुई जिसका राजनीतिक दलों द्वारा धन प्राप्त करने की पारदर्शिता पर बहुत असर पड़ेगा। ऐसे 22 ट्रस्ट प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड से जुड़े हैं व उनमें से केवल 13 ने चुनाव आयोग को अपने रिकार्ड उपलब्ध करवाए हैं। (2017-18 में चुनावी ट्रस्टों की कांट्रीबूशन रिपोर्ट का विश्लेषण – एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म)। वर्ष 2017-18 में दी गई डोनेशन में 86.95 प्रतिशत सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को मिली व 6 प्रतिशत कांग्रेस को प्राप्त हुई। इलैक्ट्रोल ट्रस्ट के नाम प्रायः यह नहीं बताते हैं कि किस कंपनी ने ट्रस्ट बनाया। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है।

सरकार चाहती तो वह राज्यों को जिले, प्रखंड व संस्थानों के स्तर पर आवंटन व खर्च को प्रकाशित करना अनिवार्य कर सकती थी। इसी तरह शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों के बजट में पारदर्शिता लाना जरूरी है। ऐसी प्रक्रियाएं आरंभ हो सकती हैं कि स्थानीय स्तर पर बजट में नागरिकों विशेषकर कमजोर तबकों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जन जातियों, अल्प-संख्यकों की भागेदारी हो सके। पर इसकी अभी बहुत कम संभावनाएं तलाशी गई हैं। आई.बी.पी. द्वारा दिए गए नवीनतम ओपन बजट भारत सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बजट प्रक्रियाओं में जन भागेदारी के अवसर बहुत कम हैं। भारत को 100 में से मात्र 15 अंक मिले हैं, फिर भी यह वैश्विक औसत (12) से आगे है, जिससे पता चलता है कि विश्व स्तर पर भी यह प्रयास बहुत कमजोर हैं।



सी.बी.जी.ए. के बारे में

सेण्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेंस एकाऊंटेबिलिटी (सी.बी.ए.जी.) नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र संस्थान है जो भारत में सरकारी नीतियों व बजटों का विश्लेषण करता है तथा अधिक पारदर्शिता, जवाबदाही व बजट में भागीदार को बढ़ाने की पैरवी करता है। सी.बी.ए.जी. के अन्य कार्य की जानकारी/सूचना पाने के लिए वेब साइट www.cbgaindia.org पर देखें अथवा ई-मेल info@cbgaindia.org पर लिखें।

ओपन डाटा पोर्टल www.openbudgetsindia.org पर भारत के बजट को देखें

सी.बी.जी.ए. टीम

अजय पाल सिंह, अनुराग मजूमदार, असदुल्लाह, भुवन चन्द नैलवाल, हैर्पी पंत, हर्ष सिंह रावत, जावेद आलम खाँ, ज्योत्सना गोयल, मालिनी चक्रवर्ती, माम्पी बोस, नरेश कुमार नायक, नीति बियानी, नीलाचल आचार्य, प्रियंका सामी, प्रतिभा कुन्दु, राजलक्ष्मी नायर, राजकुमार, रक्षिता स्वामी, ऋचा चिन्तन, साक्षी राय, शुचिता रावल, श्वेता तिवारी, सीमांती चक्रवर्ती, सौजन्या ईला, श्रीधर कुण्डु, सुब्रत दास, सुमिता गुप्ता, सूरज प्रसाद जायसवाल, स्वपनिल मार्तिवर, टी.के. घाजी, तृष्णा अग्रवाला एवं तुषार कपूर।

इस प्रकाशन में योगदान के लिए विशेष धन्यवाद

चन्द्रिका सिंह, गौरव गोधवानी, जैकब जार्ज, मीनाक्षी बालासुब्रामनियम, प्रिया तिवारी, प्रियम अग्रवाला, रामगति सिंह एवं सौम्या श्रीवास्तव।

हिन्दी अनुवाद

भारत डोगरा एवं रामगति सिंह

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें -

सेण्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेंस एकाऊंटेबिलिटी (सी.बी.जी.ए.)

बी-7, एक्सटेंशन/110 ए (ग्राउंड फ्लोर) हरसुख मार्ग,

सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110 029

टेलीफोन - (11) 4920 0400 / 401 / 402

ई मेल - info@cbgaindia.org

वेब साइट - www.cbgaindia.org

फोलो सी.बी.जी.ए. फेसबुक - CBGAIIndia

फोलो सी.बी.जी.ए. ट्वीटर - CBGAIIndia

